<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या3368</u>

<u>10 अगस्त, 2015 को उत्त र के लिए</u>

इस्पात उत्पाद गुणता नियंत्रण आदेश

3368. श्री सी. आर. पाटील:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात और इस्पात उत्पाद गुणता नियंत्रण आदेश 2015 तैयार करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

<u>उत्त)र</u>

<u>इस्पांत और खान मंत्री</u> **<u>श्री नरेन्द्रि सिंह तोमर</u>**

(क) और (ख) : जी , हां। सरकार का इस्पात और इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2015 को अधिसूचित करने का प्रस्ता,व है , जिसमें ऐसे 16 गैर-एलॉय, चपटे और लंबे इस्पाकत उत्पासदों को शामिल किया गया है जिनका मानव जीवन पर प्रत्यिक्ष प्रभाव पड़ता है और/अथवा जो इंजीनियरीप़ निर्माण, अवसंरचना और आवास क्षेत्र के लिए महत्वापूर्ण है। तदनुसार , इस्पाऔत मंत्रालय और विश्व व्याापार संगठन दोनों के वेबसाइटों में ऑर्डर का प्रारूप अपलोड किया गया, है जिसमें घरेलू और विदेशी सभी हितधारकों से टिप्पोणियां मांगी गई हैं।

(ग) और (घ) : इस्पाित गुणवत्ताा नियंत्रण आदेश के उक्तय प्रारूप के पक्ष और विपक्ष में अभ्यांवेदन/टिप्प णियां प्राप्तत हुई हैं। इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी अभ्याावेदनों पर गुणावगुण आधार पर विधिवत विचार किया जाना है।

*****